

## अध्याय -4 (मैन्युअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण

### **Chapter-4 (Manual-4)**

**Particulars of any arrangement that exists for a consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof**

## नीति निर्धारण हेतु

5.1 म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ या नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम (मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन) निर्धारित है। जिसके तहत संचालक मण्डल गठित है।	हाँ	राज्य शासन द्वारा 03 अशासकीय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों के प्रगतिशील कृषकों को मनोनीत किये जाने का प्रावधान है (1) प्रगतिशील कृषक (गेहूँ क्षेत्र) (2) प्रगतिशील कृषक (दलहन-तिलहन क्षेत्र) (3) प्रगतिशील कृषक (कपास क्षेत्र)

5.2 म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से/की परामर्श/भागीदारी का प्रावधान।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ या नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
	निरंक	निरंक	निरंक